...तों में फाइल नहीं ... वाद हेतुक प्रकट...

2022/926

PV

राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
88-188 दावा	14/2022	24/1/2022 6/4/22	28/1/25 Date	18/7/24 10/9/24 17/9/24 7/10/24 23/10/24 19/11/24 27/11/24 12/12/24 26/12/2... 08/1/25 23/1/2...

अनवान

श्री चन्द्रदेव धाकड़

निवासी गणेशपुरा

श्री कजोड़ धाकड़

निवासी अमृत पुरिया

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रेस्पोडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री जगदीश चन्द्र धाकड़

श्री मुकेश धाकड़

(No Instruction

FORM NO III

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा

बनाम

मुकदमा धारा — प्रकरण संख्या

S नम्बर —

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश ... वादी / प्रतिवादी उपस्थित ... दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 28/1/25 को वास्ते स्था-वा पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान S.D.O. सा दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 23/01/25 को वास्ते स्था वा पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	जनवारी
25 पत्रावली पेश हुई पत्रावली में वादी दीपक व जनवारी के बयान लेखबद्ध किए गए, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस / निर्णय आगामी दिनांक 28/1/25 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	दीपक
1/25 पत्रावली पेश हुई पत्रावली में विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया एवं खुले न्यायालय में सुनाए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या:–14 / 2022 दायर तारीख :– 24.01.2022

अनवान

1. चन्द्रदेव माता झमकु पिता हीरालाल **मृतक** :–
   1.1 दीपक पिता चन्द्रदेव जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
2. रंगलाल माता झमकु पिता हीरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
3. परसराम माता झमकु पिता हीरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
4. बनवारी माता झमकु पिता हीरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
5. सागर माता झमकु पिता हीरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

.........वादीगण

बनाम

1. कजोड़ पिता देबी उर्फ देवी लाल जाति धाकड़ **मृतक** :–
   1.1 कजोड़ी बाई पत्नि स्व0 कजोड़ लाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
   1.2 शंकरलाल पिता कजोड़ लाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
   1.3 श्यामलाल पिता कजोड़ लाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
   1.4 प्रेमबाई पिता कजोड़ लाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. गोकली पिता देबी उर्फ देवी पत्नि तुलसीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया हाल मुकाम इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा **लाओलाद फोत नाम हटाया।**
3. मुकन्दा माता धापु पत्नि सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा हाल मुकाम उमा जी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
4. नाराणी माता धापु पत्नि गोपाललाल **मृतक** :–
   4.1 अजुला माता नाराणी पत्नि मनोज जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मानपुरा हाल मुकाम गायत्रीनगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
   4.2 सरिता माता नाराणी पत्नि पिंकेश जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मानपुरा हाल मुकाम थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
   4.3 अमित माता नाराणी पिता गोपाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
5. फोरी माता धापु पत्नि नाराण जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा हाल मुकाम थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
6. गोपाललाल माता धापु पिता उदा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
7. सुगनलाल माता राजी पिता नाथु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
8. भुरालाल माता राजी पिता नाथु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

9. नन्दु बाई माता राजी पत्नि मोडा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवारा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

10. लाड देवी पत्नि शान्ति लाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

11. बीना देवी पत्नि राजु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

12. भुमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

13. ICICI बैक लिमिटेड शाखा बिजौलिया जरिये शाखा प्रबंधक ICICI बैक लिमिटेड शाखा बिजौलिया जिला भीलवाडा

..........प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 01. श्री जगदीश चन्द्र धाकड़ – अधिवक्ता वादी
02. एक पक्षीय

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांक 28 / 01 / 2025

वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा धारा 88–188 रा. टि. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। बाद जांच सीगे की रिपोर्ट से वादपत्र दर्ज योग्य होने की पेश होने से दर्ज वादपत्र नियमित राजस्व दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन के की गयी।

वादपत्र के सजरे के अनुसार देबी उर्फ देवी लाल पिता किशना धाकड़ की कृषि भूमि में उनके पुत्र व पुत्रीया प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 2 तथा प्रतिवादी नम्बर 3 लगायत 6 की माता धापू व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 की माता मु0 राजीबाई व वादी संख्या 1 लगायत 5 की माता झमकू तथा तत्कालीन समय में खातेदार देबी लाल जी की पत्नि मु0 बरजी प्रत्येक का हिन्दु उतराधिकार अधिनियम से बराबर हिस्सा प्रत्येक का 1/6 होकर इसी अनुसार कब्जा काश्त उपयोग उपभोग रहा। देबी जी की पत्नि मु0 बरजी का देहवसान व प्रतिवादी नम्बर 02 लाओलाद अवस्था देहवसान हो जाने से वादीगण का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 1 के वारीसान का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी 3, 4, 5, 6 की माता धापू के वारीसान का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 7, 8, 9 की माता राजी का 1/4 हिस्सा रहा। स्वर्गीय देबी उर्फ देवीलाल पिता किशना धाकड़ की समस्त कृषि भूमि का विवरण निम्नानुसार हैं। जमाबन्दी संवत 2037 से 2024 में मौजा ग्राम जौलास आराजी नम्बर 176 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 183 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा तथा मौजा ग्राम अमृतपुरियां की आराजी नम्बर 21 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 99 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 100 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 101 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा भूमि तथा मौजा ग्राम चुना की भाटी की आराजी नम्बर 0 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 80 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 115 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 116 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 117 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 05 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि हैं।

बी उर्फ देवी लाल पिता किशना जी की खातेदारी की उक्त समस्त आराजियात का नामान्तरकरण उनकी त्यु के उपरान्त उनकी पत्नि बरजी तथा पुत्र कजोड के अलावा चारो पुत्रीयो गोकली, राजी धापु, झमकु के म पटवार हल्का द्वारा दर्ज किया गया। एवं पटवारी हल्का के दर्ज अंकन के आधार पर वादीगण तथा तिवादी नम्बर 2 लगायत 9 इसी विश्वास में थे की उक्त आराजियात देबी उर्फ देवी लाल जी के समस्त रीसान के नाम दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। इसी अनुसार वादीगण अपनी माता मु0 झमकु के जीवनकाल क उनके साथ वादग्रस्त आराजी के 1/4 हिस्से का उपयोग उपभोग करते रहें और आज तक इसी अनुसार ग्रस्त वादग्रस्त आराजियात पर काबिज चले आ रहे है। वादीगण की माता का देवहसान दिनांक 19.09.2015 हो गया। जिसके उपरान्त वादीगण के उपयोग उपभोग में वादग्रस्त आराजीयात 1/4 हिस्से से चली आ है। दिनांक 15.09.2021 को वादीगण अपनी माता के 1/4 हिस्से की भुमि पर ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्व रेकार्ड की वर्तमान जमाबन्दी की नकले प्राप्त की तब सर्वप्रथम जानकारी हुई कि समस्त ग्रस्त आराजियात प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम चली आ रही हैं तथा देबी उर्फ देवी लाल पिता किशना की के उपरान्त नामान्तरकरण प्रतिवादी न0 1 व मु0 बरजी के नाम ही पटवार हल्का रिर्पोट के विपरीत र्तित किया गया है। देबी पिता किशना की सभी पुत्रीया का नाम विरासत से अकारण ही हटा दिया गया के देबी पिता किशना की जायदाद से उनकी पुत्रीयो ने न तो हक त्याग प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में न ही अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण विलेख निष्पादित करवाया हैं वादीगण मु0 झमकु की मृत्यु के से ही वैधानिक उतराधिकारी हैं। प्रतिवादी न0 12 भुमिधारी ने अकारण ही राजस्व रेकार्ड से

उपखण्ड अधि...
बिजौलियाँ जिला-भी...

/4 हिस्से की भुमि से मु0 झमकू का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाने का निर्णय पारित किया जो सर्वथा विधि विपरीत होकर शुन्य है। और नामान्तरकरण की त्रुटिपुर्ण कार्यवाही से वादीगण तथा मु0 झमकू के वैध अधिकार समाप्त नही होते हैं वादीगण वादग्रस्त समस्त आराजियात के 1/4 हिस्से के खातेदार है। किन्तु राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम अंकित न होने की त्रुटि से वादीगण के हित कभी भी प्रभावित हो सकते है इस कारण वादीगण को अपने 1/4 हिस्से की खातेदारी की घोषणा करा राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम 1/4, प्रतिवादी संख्या 1 के वारीसो का 1/4 व प्रतिवादी संख्या 02 गोकली लाओलाद फोत होने से नाम हटाया गया व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 9 का 1/4 हिस्सा दर्ज करवाये जाने की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण को विक्रय हस्तान्तरण की धमकी दी उसके पश्चात् प्रतिवादी न0 1 ने वादग्रस्त भुमि अपने नाम पर दर्ज होने का नाजायज लाभ अर्जित करने के उद्वेदश्य से वादग्रस्त भुमि में से ग्राम जोलास स्थित आराजी 176 रकबा 0.8903 हैक्टयर भुमि, आराजी 183 रकबा 1.1007 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 1.9910 हैक्टयर भुमि का कागजी विक्रयपत्र के आधार पर अपनी पुत्र की पुत्रीया यानी पोत्री प्रतिवादी नम्बर 10 व 11 को अलग अलग दो शुन्य व अप्रभावी विक्रयपत्र का निष्पादन करा बिना प्रतिफल प्राप्त किये उसका पंजीयन निष्पादन करा दिया हैं जिससे वादीगण के हिस्से पर कभी भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता हैं और शेष वादग्रस्त भुमि का भी विक्रय हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं इस कारण वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

वादीगण ने अन्त में अनुतोष चाहा कि मौजा ग्राम जौलास आराजी नम्बर 176 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 183 रकबा 6 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 02 रकबा 12 बीघा 06 बिस्वा तथा मौजा ग्राम अमृतपुरियां की आराजी नम्बर 21 रकबा 02 बिस्वा, आराजी नम्बर 99 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 100 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर 101 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 04 रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा भूमि तथा मौजा ग्राम चुना की भाटी की आराजी नम्बर 20 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा, आराजी नम्बर 80 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, आराजी नम्बर 115 रकबा 12 बिस्वा, आराजी नम्बर 116 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा, आराजी नम्बर 117 रकबा 3 बीघा 04 बिस्वा कुल किता 05 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा भूमि में वादपत्र में अंकित वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जावें। तथा इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर फरमायी जावें। तथा उक्त आराजीयात में प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसके हिस्से पर काश्त करने से नहीं रोकने, भूमि का अन्तरण नहीं करने व राजस्व रेकॉर्ड में परिवर्तन नहीं करने व करवाने हेतु **स्थाई निषेधाज्ञा** से पाबन्द फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गयी।

वादपत्र में दिनांक 22.03.2022 को प्रतिवादी नं0 1 से लगायत 11 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार धाकड़ ने अन्डर टेकिंग ली तथा दिनांक 19.11.2024 को पुनः No Instruction किया गया।

प्रकरण में तनकीयात कायम नही की जाकर वास्ते साक्ष्यवादी में प्रकरण रखा गया।

वादीगण ने वादपत्र के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न प्रस्तुत किये।

जमाबन्दी ग्राम जौलास संवत् 2037–40 व संवत् 2046–49 पेश की जो प्रदर्श – 1 व 2 हैं।, नामान्तरण संख्या 90 व 210 पेश की जो प्रदर्श – 3 व 4 हैं। जमाबन्दी ग्राम अमृतपुरियां संवत् 2035–39 व संवत् 2044–47 पेश की जो प्रदर्श – 5 व 6 हैं।, नामान्तरण संख्या 51 व 90 पेश की जो प्रदर्श – 7 व 8 हैं। जमाबन्दी ग्राम चुना की भाटी संवत् 2035–39 पेश की जो प्रदर्श – 9 हैं।, नामान्तरण संख्या 28 पेश की जो प्रदर्श – 10 हैं। मौजा ग्राम अमृतपुरिया की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076–79 जो प्रदर्श – 11 हैं।, मौजा ग्राम जौलास की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074–77 जो प्रदर्श – 12 हैं।, मौजा ग्राम चुना की भाटी की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2076–79 जो प्रदर्श – 13 हैं।,

वकील वादी ने शहादत वादी मे PW-1 बनवारी पिता हीरालाल धाकड़ नि0 गणेशपुरा, PW-2 दीपक पिता चन्द्रदेव धाकड़ नि0 गणेशपुरा के बयान कराये गये। जो शामिल पत्रावली किये गये।

वादीगण द्वारा अन्य कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही कियें।

प्रतिवादीगण द्वारा भी अपने पक्ष में दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने से प्रकरण बहस में रखा गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र किया तथा बताया कि वादपत्र में अंकित आराजीयात में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। उक्त वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य हैं।

—:: आदेश ::—.

अतः प्रस्तुत वादपत्र वादी अर्न्तगत धारा **88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम जौलास आराजी नम्बर 176 रकबा 0.8903 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 183 रकबा 1.1007 हैक्टेयर किुल किता 02 रकबा 1.9910 हैक्टेयर तथा ग्राम अमृतपुरियां की आराजी नम्बर 100 रकबा 0.3642 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 101 रकबा 0.3966 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 21 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 99 रकबा 0.4290 हैक्टेयर कुल किता 04 रकबा 1.2060 हैक्टेयर तथा ग्राम चुना की भाटी की आराजी नम्बर 115 रकबा 0.0971 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 116 रकबा 0.2185 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 117 रकबा 0.5180 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 20 रकबा 0.6718 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 80 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि कुल किता 05 रकबा 1.9101 हैक्टेयर भूमि में वादपत्र में अंकित वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तथा प्रतिवादी संख्या 13 के रहन का अंकन जिस खातेदार ने ऋण लिया है उसी से या उसके वारिसान के हिस्से में रहन का अंकन किया जावें । साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण दखलनदाजी नही करें। न अन्य किसी से करायेगें। डिक्री मूर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 28/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला—भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री अजीत सिंह राठौड़ (RAS) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्याः—14 / 2022 दायर तारीख :— 24.01.2022

अनवान

1. चन्द्रदेव माता झमकु पिता हीरालाल **मृतक** :—
   1.2 दीपक पिता चन्द्रदेव जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
2. रंगलाल माता झमकु पिता हीरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
3. परसराम माता झमकु पिता हीरालाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
4. बनवारी माता झमकु पिता हीरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
5. सागर माता झमकु पिता हीरालाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

.... डिक्रीदार

बनाम

1. कजोड़ पिता देबी उर्फ देवी लाल जाति धाकड़ **मृतक** :—
   1.5 कजोड़ी बाई पत्नि स्व0 कजोड़ लाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
   1.6 शंकरलाल पिता कजोड़ लाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
   1.7 श्यामलाल पिता कजोड़ लाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
   1.8 प्रेमबाई पिता कजोड़ लाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. गोकली पिता देबी उर्फ देवी पत्नि तुलसीराम जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी अमृतपुरिया हाल मुकाम इन्द्रपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा **लाओलाद फोत नाम हटाया।**
3. मुकन्दा माता धापु पत्नि सुगनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा हाल मुकाम उमा जी का खेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
4. नाराणी माता धापु पत्नि गोपाललाल **मृतक** :—
   4.4 अजुला माता नाराणी पत्नि मनोज जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मानपुरा हाल मुकाम गायत्रीनगर तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
   4.5 सरिता माता नाराणी पत्नि पिंकेश जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मानपुरा हाल मुकाम थड़ौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
   4.6 अमित माता नाराणी पिता गोपाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी मानपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
5. फोरी माता धापु पत्नि नाराण जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा हाल मुकाम थडौदा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
6. गोपाललाल माता धापु पिता उदा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
7. सुगनलाल माता राजी पिता नाथु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)
8. भुरालाल माता राजी पिता नाथु जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीखेडा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

नन्दु बाई माता राजी पत्नि मोडा जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी लक्ष्मीनिवास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

10. लाड देवी पत्नि शान्ति लाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी डोबिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

11. बीना देवी पत्नि राजु जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी उम्मेदपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

12. भुमिधारी जरिये तहसीलदार साहब बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा (राज0)

13. ICICI बैक लिमिटेड शाखा बिजौलिया जरिये शाखा प्रबंधक ICICI बैक लिमिटेड शाखा बिजौलिया जिला भीलवाडा

.... मदयूनान

वादी अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक : 28 /01 /2025
डिक्री दिनांक : 28 /01 /2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियॉ बहाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र धाकड को एक पक्षीय हुकम दिया जाता हैं कि वादपत्र वादी अन्तर्गत **धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** 1955 प्र0स0 14/2022 में ग्राम जौलास आराजी नम्बर 176 रकबा 0.8903 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 183 रकबा 1.1007 हैक्टेयर किुल किता 02 रकबा 1.9910 हैक्टेयर तथा ग्राम अमृतपुरियां की आराजी नम्बर 100 रकबा 0.3642 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 101 रकबा 0.3966 हैक्टेयर ,आराजी नम्बर 21 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 99 रकबा 0.4290 हैक्टेयर कुल किता 04 रकबा 1.2060 हैक्टेयर तथा ग्राम चुना की भाटी की आराजी नम्बर 115 रकबा 0.0971 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 116 रकबा 0.2185 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 117 रकबा 0.5180 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 20 रकबा 0.6718 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 80 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि कुल किता 05 रकबा 1.9101 हैक्टेयर भूमि में वादपत्र में अंकित वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तथा प्रतिवादी संख्या 13 के रहन का अंकन जिस खातेदार ने ऋण लिया है उसी से या उसके वारिसान के हिस्से में रहन का अंकन किया जावें । साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण दखलनदाजी नही करें। न अन्य किसी से करायेगें। साथ ही प्रतिवादीगण को **स्थाई निषेधाज्ञा** से पाबन्द किया जाता हैं कि वादीगण के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण दखलनदाजी नही करें। न अन्य किसी से करायेगें। प्रतिवादी नं. 12 को तहरीर जारी होकर निर्णय की पालना में वादग्रस्त जायदाद राजस्व अभिलेखों में दर्ज अभिलेख की जावे। पक्षकार खर्चा अपना अपना वहन करें। डिक्री मूर्तिब की गई।

नीज ....Nil...............................मुबलिग .... Nil ....बाबत् .... Nil ......खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर .... Nil ....फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... Nil ....का अदा करे।

बशब्द मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .... माह ..... वर्ष 2025 को जारी किया गया।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला–भीलवाडा